

## सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के रूप में भारत में बीमा क्षेत्र की भूमिका का अध्ययन

जितेंद्र महाजन

सहयोगी प्राध्यापक

सी.पी. अँड बेरार महा वद्यालय, नागपूर, महाराष्ट्र

### प्रस्तावना:

बीमा व्यक्ति को जीवन में कई अनिश्चितताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा कई तरह से समाज को सुरक्षा प्रदान करता है। वास्तविकता बीमा एक सामाजिक सुरक्षा उपकरण है। यह सुरक्षा व भन्न रूपों में प्रदान की जाती है। जीवन में कुछ अनिश्चितताएँ हैं जो सामाजिक व्यवस्था में खराब चीजों से उत्पन्न होती हैं। जैसे - बीमारी, बुढ़ापा, कारखाने की दुर्घटनाओं के साथ-साथ आर्थिक मंदी के समय में बेरोजगारी आदि। इस स्थिति में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का अर्थ है सामाजिक बीमा।

सामाजिक बीमा सरकार द्वारा नियोक्ताओं और कर्मचारियों के सहयोग से चलाया जाता है। सर व लयम बेवरिज के अनुसार, "सामाजिक बीमा योगदान के बदले निर्वाह-स्तर के लाभों का प्रावधान है। ताक वे एक सुरक्षित जीवन जी सकें।" यह बीमा सामाजिक वकार को खत्म करने के उद्देश्य से है। सरल शब्दों में कहें, तो सामाजिक बीमा एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य बेरोजगारी, बीमारी या अन्य आपात स्थितियों में न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखना है। इसमें एक सामान्य कोष बनाया जाता है। यह सामान्य कोष सरकार, कर्मचारियों और नियोक्ताओं के सहयोग से बनाया जाता है। भारत में भी सरकार द्वारा समाज को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश से अनेक योजनाएँ चलायी जा रही हैं। इसमें अनेक बीमा योजनाएँ भी शामिल हैं। इन बीमा योजनाओं के भारत में सामाजिक सुरक्षा उपकरण के रूप में क्या भूमिका है?, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के रूप में भारत में बीमा क्षेत्र का परिणाम क्या है? भारत में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं? भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा की दिशा में प्रयास कैसे हैं? आदि प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु इस अनुसंधान का यह वषय चुना गया है।

अनुसंधान निबंधों के लए प्रयुक्त अनुसंधान व धर्याँ:

वर्तमान अनुसंधान के लए उपयोग की जाने वाली जानकारी और तथ्यों को वषय से संबंधित पुस्तकों, व भन्न पत्रिकाओं, लेखों, वेबसाइटों और समाचार पत्रों से संकलित किया गया है।

अनुसंधान के उद्देश्य:

- 1) बीमा योजनाओं के भारत में सामाजिक सुरक्षा उपकरण के रूप में क्या भूमिका है इसका अध्ययन करना।
- 2) सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के रूप में भारत में बीमा क्षेत्र का परिणाम क्या है इसका अध्ययन करना।
- 3) भारत में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं यह जानना।

#### 4) भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा की दिशा में प्रयास कैसे है यह जानना।

सामाजिक सुरक्षा का अर्थ:

सामाजिक सुरक्षा को उस सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे समाज कुछ जो खमों के खिलाफ उपयुक्त संगठनों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। लेक्सिकन यूनिवर्सल इनसाइक्लोपी डिया के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा शब्द को 'सार्वजनिक कार्यक्रमों से मलकर बनाया गया है, जिसका उद्देश्य श्रमकों और उनके परिवारों को वृद्धावस्था, बीमारी, बेरोजगारी या मृत्यु से जुड़ी आय हानि से बचाना है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक सुरक्षा शब्द को पहली बार तब जोड़ा गया था जब संयुक्त राज्य अमेरिका का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 अस्तित्व में आया था। इसके बाद, यह शब्द दुनिया के अन्य पश्चिमी देशों में लोकप्रिय हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में, इस शब्द का उपयोग वृद्धावस्था में जीवित बचे लोगों, अमान्यता और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को निरूपित करने के लिए किया जाता है, जो संघीय सरकार के नियंत्रण में कार्य करती हैं। इंग्लैंड में, सामाजिक सुरक्षा शब्द में सामाजिक सहायता के साथ-साथ सामाजिक बीमा योजना भी शामिल है और यह राष्ट्रीय बीमा योजना, औद्योगिक चोट योजना और सामाजिक सहायता योजना में शामिल है, जिसके तहत श्रमकों को पूरा लाभ प्रदान किए जाते हैं।

भारत में सामाजिक सुरक्षा के रूप में बीमा की भूमिका:

बीमा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा समाज में गरीब और पछड़े लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ लागू की जाती हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के माध्यम से भारत सरकार ने सामाजिक रूप से सहायता समूह बीमा योजनाओं के साथ-साथ कई पछड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक दुर्घटना बीमा योजनाओं की शुरुआत की है।

बीमा के सामाजिक लाभों में से एक यह है कि समाज में कई लोगों को रोजगार मिला है। बीमा कंपनियों में हजारों बीमा एजेंट काम करते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और उसकी सहायक कंपनियों लगभग 85,000 लोगों को रोजगार देती हैं, जबकि भारतीय जीवन बीमा लगभग 1.5 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। इस प्रकार बीमा रोजगार के माध्यम से कई परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।

मैगी के अनुसार, "जीवन बीमा संकट के समय में धन प्रदान करता है, इसलिए यह निश्चित रूप से परिवार को व्यवस्थित रखने के लिए एक उपकरण है। आधुनिक छोटे (अलग) परिवार में, यह मुख्य रूप से देखा जाता है कि पता की मृत्यु के बाद परिवार का वृत्तीय बोझ माँ पर पड़ता है। ऐसे में माँ को बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। माँ इस समय चिंतित है। अक्सर माँ को भी नौकरी करनी पड़ती है। ताकि वह बच्चों पर ध्यान न दे सके। लेकिन अगर पता का बीमा है, तो समय पर पैसे की उपलब्धता परिवार को टूटने से बचा सकती है।

बीमा का एक प्रमुख कार्य भविष्य के खतरों से सुरक्षा प्रदान करना है। क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, एक व्यक्ति हमेशा असुरक्षित महसूस करता है और उसे सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बीमा जो खम की अनिश्चितता को निश्चितता में परिवर्तित करके सुरक्षा प्रदान करता है। इसके लिए बीमा कंपनी

बीमाकर्ता से कुछ पैसा प्री मयम के रूप में लेती है। जीवन का बीमा करके, एक व्यक्ति अपने और परिवार के अन्य सदस्यों के भवष्य के बारे में सुनिश्चित होता है। क्योंकि जीवन बीमा परिवार की वृत्तीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। वह उस आदमी को आश्वासन देता है कि उसकी अचानक मृत्यु के बाद उसका परिवार असहाय नहीं होगा। इस तरह से किसी का जीवन बीमा करने से व्यक्ति आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करता है।

वृद्धावस्था में मनुष्य अपने जीवन को सुख और शांति से बिताना चाहता है। इस समय मनुष्य की कमाई शक्ति लगभग समाप्त हो गई है और यदि आय के कोई अन्य नियमित साधन नहीं हैं तो उसे दूसरों के समर्थन में रहना होगा। लेकिन अगर जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध है, तो वह अपना शेष जीवन खुशी से बिता सकता है। इस प्रकार बीमा बुढ़ापे से सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन बीमा आश्रितों के लिए सुरक्षा की भावना पैदा करता है। यह मनुष्य को अपने दो पैरों पर खड़ा होना भी सिखाता है। जो समाज के बोझ को हल्का करता है। जीवन बीमा व्यक्ति को भवष्य की समस्याओं से बचा सकता है।

बीमा समाज के लोगों के जीवन में स्थिरता ला सकता है। बीमा व्यक्ति आपके परिवार का भवष्य निर्धारित करता है। जीवन बीमा एक व्यक्ति को आश्वासन देता है कि उनके बच्चे एक उपयुक्त वातावरण में बड़े हो सकते हैं। बीमा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मेहर और केमेक के अनुसार, "बीमा सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली बल हो सकता है।"

बीमा लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करता है। भारत में कई बीमा कंपनियां इस स्वास्थ्य सुधार आंदोलन को चलाती हैं। वे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में शैक्षिक उपकरण वितरित कर रहे हैं। बीमा कराते समय स्वास्थ्य जांच भी बहुत फायदेमंद है। बीमा को कई सामाजिक समस्याओं का समाधान माना जाता है। यह बेरोजगारी, अज्ञानता, बीमारी, अशिक्षा जैसी कई जटिल सामाजिक समस्याओं को हल करने में मदद कर रहा है। मेहर और केमेक के अनुसार, "बीमा कई जटिल सामाजिक समस्याओं का एक बहुत ही उपयोगी समाधान है।" बीमा समाज को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बहुत योगदान देता है। बीमाकृत की छोटी बचत के साथ-साथ बड़े जोखिमों के वभाजन के कारण, समाज निजी स्वतंत्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करता है।

भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं:

9 मई, 2015 को, भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमकों के लिए कोलकाता में तीन सरकारी बीमा योजनाओं की शुरुआत की और वे तीन बीमा योजनाएँ हैं (1) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, (2) प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, और (3) अटल पेंशन योजना। केंद्रीय वृत्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल आबादी के केवल 20% लोगों के पास जीवन बीमा है। 11% श्रमक पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं जबकि केवल 4% नागरिकों के पास ही दुर्घटना बीमा होता है। इस लिए, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामान्य स्तर पर रहने वाले आम लोगों को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से

उपरोक्त तीन बीमा योजनाएँ शुरू की गईं। तीनों योजनाओं को भारत में 1 जून 2015 से लागू किया गया था।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना:

18 से 50 वर्ष की आयु के बीच बैंक खाताधारक जिन्होंने योजना में शामिल होने या एक वध के रूप में ऑटो-डेबिट को सक्रिय करने के लिए सहमति दी है। इस नीति का कवर 1 जून से अगले वर्ष के 31 मई तक एक वर्ष के लिए होगा। बचत खाता धारकों के लिए 1 जून या उसके बाद शामिल होने के लिए, कवर प्री मियम डेबिट की तारीख से शुरू होगा और अगले साल 31 मई को समाप्त है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्री मियम 330 रुपये है। बैंक में ग्राहक के बचत खाते से सीधे बैंक द्वारा प्री मियम स्वचालित रूप से डेबिट किया जाएगा। यह वर्तमान में केवल उपलब्ध वध है। यह पॉलिसी नवीनीकरण के लिए 25 मई से 31 मई के बीच स्वचालित रूप से डेबिट (ऑटो-डेबिट) हो जाएगा। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी। जब तक ग्राहक ने बैंक से पॉलिसी रद्द करने का अनुरोध नहीं किया है। किसी भी कारण से बीमता व्यक्ति की मृत्यु के बाद, नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपये की राशि देय है।

यदि खाताधारक ने 55 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। यदि बैंक में बचत खाता बंद है या प्री मियम जमा करने के लिए बैंक में पर्याप्त राशि नहीं है। इस योजना के तहत एक से अधिक कवरेज के मामले में, कवर 2 लाख रुपये तक सीमित होगा और बीमा कवर समाप्त हो जाएगा और प्री मियम जब्त हो जाएगा। अगर किसी ग्राहक का बैंक में एक से अधिक बचत खाता है। तो केवल एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जारी की जाएगी। यदि कुछ नीतियां मौजूद हैं, तो ऐसी नीतियों का प्री मियम ग्राहक के संबंधित खाते में जमा कर दिया जाएगा और इस तरह के अतिरिक्त नीति अनुरोध के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। 1 जून 2016 से सभी नामांकन के लिए, ग्राहक द्वारा नामांकन की तारीख से 45 दिन बाद योजना को पूरा करने के बाद ही जो खम कवर शुरू हो जाएगा। दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को 45 दिनों की निष्क्रियता से मुक्त किया जाएगा।

यदि ग्राहक समूह पॉलिसी शुरू होने के बाद से इस योजना में शामिल हो गया है या शामिल हो गया है, तो भी उसे पूर्ण वार्षिक प्री मियम का भुगतान करना होगा। यदि बचत बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो पॉलिसी जारी नहीं की जा सकती है। बैंक इसके लिए कोई अतिरिक्त नोटिस जारी नहीं करेगा। केवल एक पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से प्राप्त उपभोक्ता प्रतिक्रिया को अपने बचत खाते के साथ ऑटो-डेबिट के लिए वैध माना जाएगा।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में प्रवेश के लिए आवश्यक व्यक्तिगत ववरण, समूह नीति के तहत पात्रता के बारे में दी गई जानकारी की सटीकता योजना के अनुसार कवरेज को प्रमाणित करने और वचाराधीन राशि की प्राप्ति के लिए बैंक वषय के साथ समन्वय है। यदि ग्राहक द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है, तो योजना में शामिल किए जाने की तिथि से उसकी योजना सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और उसके बाद भुगतान किए गए सभी प्री मियम जब्त कर लिए जाएंगे। 330 रुपये

(माल और सेवा कर सहित) का नवीकरण प्री मयम प्रत्येक वर्ष 25 से 31 मई के बीच बैंक के बचत खाते से ऑटो-डेबिट किया जाएगा। स्वचालित नवीनीकरण रद्द करने के इच्छुक ग्राहकों को 30 अप्रैल से पहले ऐसा अनुरोध करना चाहिए। योजना के नियमों के अनुसार बी मत व्यक्ति की पात्र आयु तक नवीकरण प्री मयम पर वचार किया जाएगा। संयुक्त खाताधारक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए कसी भी बैंक शाखा में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना:

प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना एक ऐसी योजना है जो बहुत कम प्री मयम दर पर आम आदमी को बीमा कवर प्रदान करती है। इस सुरक्षा बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में रहने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस बीमा का लाभ उठा सकें। ताकि उसके जीवन में अचानक होने वाली दुर्घटना की अवधि के दौरान उसे वृत्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उसे आर्थिक कारणों से कसी के सामने हाथ नहीं उठाना पड़ता या पैसे की कमी के कारण उसे अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। इस बीमा योजना के तहत, केवल दुर्घटना बीमा, बीमाकर्ता को शुल्क (2 लाख रुपये प्रति वर्ष) के लिए उपलब्ध है और इसके कारण देश का कोई भी सामान्य व्यक्ति केवल 12 रुपये प्रति वर्ष का प्री मयम शुल्क देकर इस सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकता है।

भारत में कोई भी व्यक्ति, 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच, एक बैंक खाता धारक जो इस योजना में ऑटो-डेबिट में शामिल होने या सक्षम होने के लिए सहमत है। पॉलसी कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए वैध है। बचत खाता धारकों के लिए 1 जून को या उसके बाद मलने की अवधि, कवर प्री मयम डेबिट की तारीख से शुरू होगी और अगले साल 1 मई को समाप्त होगी। बैंक में ग्राहक के बचत खाते से सीधे बैंक द्वारा प्री मयम स्वचालित रूप से डेबिट किया जाएगा। यह एकमात्र उपलब्ध वधि है। यह पॉलसी नवीनीकरण के लिए 25 मई से 31 मई तक ऑटो डेबिट किया जाएगा और तब तक जारी रहेगा जब तक ग्राहक बैंक द्वारा पॉलसी रद्द करने का अनुरोध नहीं करता। योजना के तहत कुल कवरेज 2 लाख रुपये है। लाभ तालका मौत दोनों आँखों या पैरों के पूर्ण और स्थायी नुकसान के मामले में या दोनों हाथों और पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख का नुकसान और एक हाथ या एक पैर के उपयोग का नुकसान या पॉलसी के तहत एक हाथ या एक पैर के उपयोग के नुकसान का दावा किया जा सकता है। कवर नीति अपवादों के अधीन है। इस योजना के कुछ अपवाद हैं। वह जानबूझकर आत्महत्या या शराब या ड्रग्स के प्रभाव से लाभान्वित नहीं होगा, या उन्माद में आत्महत्या का प्रयास करेगा, कसी भी अधिनियम से नुकसान होगा जो आपराधिक इरादे से कानून का उल्लंघन करता है। यदि कसी ग्राहक के बैंक में एक से अधिक बचत खाते हैं, तो केवल एक पीएमएस, बीमा योजना नीति जारी की जाएगी। यदि कुछ नीतियां मौजूद हैं, तो ऐसी कुछ नीतियों के प्री मयम ग्राहक के संबंधित खाते में वापस कर दिए जाएंगे और ऐसे अतिरिक्त नीति अनुरोधों के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। कवर प्री मयम डेबिट की तारीख से शुरू होगा।

ग्राहक को पूरा वार्षिक प्री मयम देना होगा। समूह नीति शुरू होने के बाद उन्हें फिर योजना में

एकीकृत किया जाएगा। योजना में सदस्यता तब तक मान्य होगी जब तक क सभी नवीनीकरणों का भुगतान वार्षिक नवीनीकरण तिथि के अनुसार 70 वर्ष की आयु तक न कर दिया जाए। यदि बचत खाते में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो पॉलसी जारी नहीं की जाएगी। बैंक इसके लिए कोई अलग से अग्रिम सूचना नहीं देगा। पंजीकृत मोबाइल के माध्यम से प्राप्त उपभोक्ता प्रतिक्रिया को अपने बचत बैंक खाते के साथ ऑटो-डेबिट की अनुमति के रूप में माना जाएगा। यदि ग्राहक द्वारा प्रदान की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो योजना की सदस्यता योजना में शामिल होने की तारीख से रद्द कर दी जाएगी और उनसे संबंधित सभी प्रीमियमों को जब्त कर लिया जाएगा।

हर साल 25 मई से 31 मई के बीच बचत खाते से 12 रुपये (माल और सेवा कर सहित) का नवीनीकरण प्रीमियम डेबिट किया जाएगा। ऑटो नवीनीकरण रद्द करने के इच्छुक ग्राहकों को 30 अप्रैल से पहले ऐसा अनुरोध करना होगा। योजना के नियमों के अनुसार अनुरोधित व्यक्ति की पात्र आयु तक नवीनीकरण प्रीमियम पर बहस की जाएगी। संयुक्त खाताधारक बैंक शाखा में नामांकन के लिए एक अलग अनुरोध करके प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना:

आयुष्मान भारत योजना या प्रधान मंत्री अरोग्य योजना (PMJAY) या राष्ट्रीय आरोग्य समृद्ध योजना एक पूर्ण राष्ट्रीय योजना है। इसका उद्देश्य उन लोगों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उनको सहायता करने के लिए यह योजना 2018 में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। 23 सितंबर, 2018 को, भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य बीमा में लगभग 50 करोड़ भारतीय नागरिकों को शामिल करने के लिए इस सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। योजना शुरू से ही सफल रही है। इस योजना के तहत सितंबर 2019 तक 18,059 अस्पताल पंजीकृत किए गए हैं। 44,06,461 से अधिक लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 100 मलिन से अधिक ई-कार्ड वितरित किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (HHPS) एक ऐसी योजना है जिसमें राष्ट्रीय बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, आदि सहित कई योजनाएँ शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की मूल योजना है। जो इस योजना को स्थापित करने का पहला उद्देश्य है।

केंद्र सरकार के स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर शहरों में रहने वाले लोगों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शुरू की गई थी। स्वास्थ्य योजना अब भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़ और बेंगलूर जैसे शहरों में चालू है। अस्पताल योजना की रीढ़ है। इसमें स्वास्थ्य से जुड़े व भन्न मामलों पर विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए समय-समय पर निर्देश दिए जाते हैं। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना एलोपैथिक और होम्योपैथिक प्रणालियों के साथ-साथ आयुर्वेद, यूनानी, योग और सद्ध जैसी पारंपरिक दवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान

करती है।

प्रधान मंत्री जन आरोग्य बीमा योजना का कवरेज एक व्यक्ति द्वारा 3 दिन पहले और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद कए गए खर्चों को कवर करता है। इसके अलावा, योजना में ओटी लागत के साथ लगभग 1,400 व भन्न प्रकार के निरीक्षण शामिल हैं। यह योजना ई-कार्ड लाभार्थियों, वंचित और गरीब लोगों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मुख्य उद्देश्य 50 करोड़ नागरिकों (10 करोड़ परिवारों) को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। कौन से परिवार गरीब हैं। निम्न-मध्यम आय वर्ग से संबंधित। उन्हें स्वास्थ्य देखभाल के रूप में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक दिए जाते हैं। इस योजना के कुछ नियम और शर्तें हैं और इसके आधार पर यह तय किया जाता है कि योजना का लाभार्थी कौन हो सकता है। इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है? इसके लिए, इसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वभाजित किया गया था। ताकि जरूरतमंद व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना:

सामान्य घरों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग। यह योजना केवल 16 से 59 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है। परिवार में कम से कम एक शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य और कोई भी सक्षम वयस्क सदस्य। भूमहीन परिवार जो आकस्मिक श्रम करके अपना जीवनयापन करते हैं। झुग्गियों में रहने वाले, मूल आदिवासी समुदाय, सफाई कर्मचारी परिवारों, भखारियों, श्रमकों को कानूनी रूप से मजबूर बनाने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की गई है।

शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना:

स्वीपर, माली, सफाई कर्मचारी, गृहिणियां, गृहिणियां, मेढों से रस्सी बनाने वाले पुरुष, फुटपाथ पर काम करने वाले पैदल यात्री, स्ट्रीट वेंडर, बर्दई और अन्य, घर निर्माण कारीगर, शिल्पकार, दर्जी, परिवहन कर्मचारी, कार और रिक्शा चालक, ड्राइवर, कंडक्टर, दुकानदार और वेटर, डलीवरी बॉय, कसान, चत्रकार, सुरक्षा गार्ड, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ईंट बनाने वाले, बिल्डर्स, प्लंबर, वॉशरमेन के साथ-साथ चौकीदार और मरम्मत और रखरखाव कार्यकर्ता, बिजली, मैकेनिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। भारत में कई मामलों में, योजना महत्वपूर्ण आलोचना के अधीन थी। मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि आयुष्मान भारत योजना का नकली मेडिकल बिल जमा करके बेईमान निजी अस्पतालों द्वारा व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया है। योजना का दावा है कि उस व्यक्ति पर सर्जरी की जा रही है जिसे अस्पताल से छुड़ी दे दी गई है और गुर्दा प्रत्यारोपण सुविधा के बिना अस्पताल में डायलिसिस हुआ है। भारत में योजना के तहत घोटाले करने के लिए अस्पताल पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।

निष्कर्ष:

अध्ययन में पाया गया कि, पछली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के वपरीत, एबीपीएम में लेनदेन की निगरानी करने और बीमा धोखाधड़ी के बावजूद संदिग्ध वृद्ध का पता लगाने के लिए एक

मजबूत आईटी बुनियादी ढांचा शा मल है। घोटाले करने वाले कई अस्पतालों को ब्लैक लस्ट कर दिया गया है। वक सत धोखाधड़ी नियंत्रण प्रणाली के साथ इन योजनाओं को सुगम बनाने में बीमा क्षेत्र ने प्रमुख भूमिका निभाई है। पीएमजेवाई के तहत उच्च मूल्य के दावे के प्रारंभिक वश्लेषण से पता चला है क अपेक्षाकृत कुछ ऐसे जिला और सामान्य अस्पताल बड़ी संख्या में हैं जहां महिला वरोधी पूर्वाग्रह के कुछ संकेत मले हैं और पुरुष रो गयों को अ धक कवरेज मल रहा है।

ग्रंथ सूची:

- 1) बीमा के लए **AISECT** अकादमी, बीमा के मूलभूत सद्दांत, **AISECT** प्रकाशन; 2017 संस्करण (1 जनवरी 2017)
- 2) भारतीय अर्थव्यवस्था, रुद्रदत्त एवं के. पी. एम. सुंदरम, एस. चाँद एंड कंपनी, नई दिल्ली (हिन्दी)
- 3) भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह, म्यकग्रेव एजुकेशन प्राइवेट ल मटेड, चेन्नई, 7 वां संस्करण
- 4) **Prasant Kumar Panda, Human Development and Social Security in India, New Century Publications (January 20, 2014)**
- 5) **A. N. Agarwala, Insurance in India: A study of insurance aspect of social security in India, Allahabad Law Journal Press (January 1, 1960)**
- 6) **R. M Ray, Life Insurance In India - Its History, Law, Practice And Problems, Morrison Press (March 15, 2007)**
- 7) **Tapas Kumar Parida, Debashis Acharya, The Life Insurance Industry in India: Current State and Efficiency, Palgrave Macmillan; 1st ed. 2017 edition (December 28, 2016)**
- 8) **Ramesh Singh, Indian Economy (For Civil Services Examination), McGraw Hill Education (India) Private Limited, Chennai 6th Edition**
- 9) **The Indian Economy - Sanjiv Verma, Unique Publication, Jan 2013**
- 10) **Indian Economy - Misra & Puri, Himalaya Publishing House, Mumbai, 2010**

समाचार पत्र: नवभारत, लोकमत, टाइम्स ऑफ इंडिया

वेबसाइट:

- <https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE>



- <https://www.businessmanagementideas.com/hi/human-resource-management-2/social-security/social-security/21131>
- <https://hi.vikaspedia.in/social-welfare/financial-inclusion/92c94092e93e/92c94092e93e-93893e92e93e91c93f915-93894193091594d93793e-91593e-90f915-92e93e92794d92f92e>
- <https://www.insuranceinstituteofindia.com/downloads/IC38/CANLHindi.pdf>
- <https://www.selfstudys.com/uploads/pdf/ZbxSuyrQTRtgXZgJr9v2.pdf>
- [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms\\_125487.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_125487.pdf)
- <https://www.dreamweaversindia.com/content2014/ch-1.html>
- <https://www.drishtias.com/hindi/mains-practice-question/question-583>
- <https://www.india.gov.in/hi/spotlight/%>
- <http://www.rsby.gov.in/hindi.pdf>
- <https://pmjay.gov.in/hi/about/pmjay>